रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2011/ज्येष्ठ 12, 1933
No. 289] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2011/JYAISTHA 12, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2011

सा.का.नि. 425(अ).—केन्द्रीय अनुज्ञप्ति अनुमोदन प्राधिकारी, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 122एल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, अनुज्ञप्तियों (रक्त उत्पादों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति को छोड़कर) के नवीकरण से संबंधित अपनी शक्तियों को, जिसके अन्तर्गत संघटकों के लिए सम्पूर्ण मानव रक्त के प्रसंस्करण के लिए रक्त बैंकों के प्रचालन के संबंध में, ऐसे नवीकरण के लिए प्रमाण-पत्र का हस्ताक्षर करना भी है, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित व्यक्तियों को, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित क्षेत्र, की बाबत प्रत्यायोजित करता है, अर्थात् :—

सारणी

व्यक्ति का नाम और पदनाम	प्रचालन-क्षेत्र
1	2
1. डॉ. डी. राय उप औषधि नियंत्रक (भारत)	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ।
2. डॉ. ए. रामकृष्ण सहायक औषधि नियंत्रक (भारत)	गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र ।
3. डॉ. वी. जी. सोमानी उप औषधि नियंत्रक (भारत)	अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम राज्य और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ।
4. श्री पी. बी. एन. प्रसाद उप औषधि नियंत्रक (भारत)	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल राज्य, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ।

1. पैरा 1 में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा अनुज्ञप्तियों का नवीकरण केवल तभी किया जाएगा जबकि ऐसी अनुज्ञप्तियां केन्द्रीय अनुज्ञप्ति अनुमोदक प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई है अथवा उक्त प्राधिकारी द्वारा किसी पूर्वत्तर प्रक्रम पर नवीकरण किया गया है ।
2. शक्तियों के प्रत्यायोजन का यह आदेश 30 जून, 2012 तक प्रवर्तन में रहेगा, जब तक कि इसे पूर्वत्तर में प्रतिसंहत न कर दिया जाए ।

[सं. डीसीजीआई/मिसिल/2011]

डॉ. सुरेन्द्र सिंह, केन्द्रीय अनुज्ञप्ति अनुमोदन प्राधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Directorate Gener al of Health Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2011

G.S.R. 425(E).—In exercise of the powers conferred under rule 122L of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the Central Licensing Approving Authority, with the approval of the Central Government, delegates its powers relating to renewal of licences (excluding the licence for manufacture of blood products, including the signing of certificate for such renewal for the operation of Blood Banks for processing of whole Human Blood for components, to the persons mentioned in column (1) of the Table below in respect of the area mentioned in column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

Name and Designation of the person	Area of operation
1	2
1. Dr. D. Roy Dy. Drugs Controller (India)	States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Union Territory of Chandigarh and National Capital Territory of Delhi.
2. Dr. A. Ramkishan Asstt. Drugs Controller (India)	State of Gujarat, Goa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
3. Dr. V. G. Somani Dy. Drugs Controller (India)	States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Tripura, Mizoram, Orissa, West Bengal, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Sikkim, Jharkhand and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
4. Mr. P. B. N. Prasad Dy. Drugs Controller (India)	States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Puducherry and Union Territory of Lakshadweep.

1. The licences may be renewed by the persons mentioned in Table to paragraph 1 only if such licences have been granted by the Central Licence Approving Authority or renewed at an earlier stage by the said Authority.
2. This order of delegation of powers shall remain in force upto 30th June, 2012, unless revoked earlier.

[No. DCGI/Misc./2011]

Dr. SURINDER SINGH, Central Licence Approving Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.